उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या-2/2025/845139/60-1099/127/2023

लखनऊ::दिनांक: 08 जनवरी, 2025

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निदेशक, महिला कल्याण को अग्रिम आदेशों तक महाप्रबंधक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है। उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु निदेशक, महिला कल्याण को कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ता आदि देय नहीं होंगे।

सुधा वर्मा
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

4- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

5- प्रबंधक निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।

6- गार्ड फाइल।

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।